



प्रेषक,

सोमनाथ,

संयुक्त सचिव,

उOप्रOशासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, उOप्रO, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2026-27 में आरOआईOडीOएफO योजना के अन्तर्गत अनुदान संO-57/83 मद में विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 10 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आरOआईOडीOएफO योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 10 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 690.90 लाख (जिसमें अनुदान संO-57 से ₹0 544.36 लाख एवं अनुदान संO-83 से ₹0 146.54 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियन्ता (सेतु) का पत्र	खण्ड /जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अवतक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान संO-57	अनुदान संO-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20931/C E-SEB /NABARD (BRIDGE) /MRT/2 O26-27 Dt- 29-04-2026	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में दादरी रार्धना खेड़ा(अOजिOमाO) के सलावा गंग नहर पावर हाउस पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	10/2025 /15/001 -23-9099(09 9)-13-2024- दिनांक-03-01-2025	474.98 474.98	2.52	472.46	399.98	72.48	38.50	10.36	48.86
2	20929/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/PRJ/2026-27 Dt- 29-04-2026	नि.ख.-2 फतेहपुर	खजुहा पहर मार्ग (ओO डीOआरO) के किमीO-7 में स्थित निचली गंगा नहर पर पड़ने वाले 6x6.00x4.00 मीO लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य।	10/2025 /15/001 -23-9099(09 9)-13-2024- दिनांक-03-01-2025	289.69 289.69	2.78	286.91	144.72	142.19	100.73	27.11	127.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	20932/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/VNS/2026-27 Dt- 29-04-2026	प्रा.ख. जौनपुर	विधान सभा सदर में ग्राम प्यारेपुर- लाइलेपुर के मध्य दहीरपुर नाले पर 4x5x5 मी० बाक्स कलवर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	289/20 23/269 9/001- 23-9- 2023- 23- 9002- 002-38- 2023- दिनांक- 19-12- 2023	273.10	3.30	269.80	187.36	82.44	64.95	17.49	82.44
					273.10							
4	20930/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/LKO/2026-27 Dt- 29-04-2026	प्रा०ख ० रायबरे ली	जनपद रायबरेली में महराजगंज- इन्हौना मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 2 में महराजगंज ड्रेन पर 3x10.00 मी० स्पान के आर०सी०सी लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	10/2025 /15/001 -23- 9099(09 9)-13- 2024- दिनांक- 03-01- 2025	311.34	24.29	287.05	100.43	186.62	78.79	21.21	100.00
					311.34							
5	21014/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/AGR/2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा०ख ० मथुरा	जनपद मथुरा में कोसी- शाहपुर-चौडरस मार्ग (अ०जि० मा०) के किमी०- 1 (चैनेज-0.480) पर स्थित आगरा नहर पर लघु सेतु के पुनर्निर्माण कार्य	10/2025 /15/001 -23- 9099(09 9)-13- 2024- दिनांक- 03-01- 2025	249.70	3.61	246.09	138.38	107.71	39.40	10.61	50.01
					249.70							
6	21015/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/ALI/2026-27 Dt- 30-04-2026	नि.ख. -1 अलीग ढ़	जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़- गोण्डा मार्ग के किमी०-15 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर लघु सेतु के पुनः निर्माण कार्य	10/2025 /15/001 -23- 9099(09 9)-13- 2024- दिनांक- 03-01- 2025	182.04	30.04	152.00	127.43	24.57	13.37	3.60	16.97
					182.04							
7	21016/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/PRJ/2026-27 Dt- 30-04-2026	नि.ख. -3 प्रयाग राज	जनपद प्रयागराज में जगतपुर वलीपुर मार्ग के किमी०- 5 पर स्थित क्षतिग्रस्त संकरी	10/2025 /15/001 -23- 9099(09 9)-13- 2024- दिनांक- 03-01-	106.68	0.50	106.18	74.68	31.50	20.64	5.55	26.19
					106.68							

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			पुलिया के स्थान पर 2x6 मी० स्पान लघु सेतु डायवर्जन, पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य।	2025								
8	21017/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/JHA/2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा.ख. जालौ न	जनपद जालौन में उरई कोटरा मार्ग के किमी०-19 में हमीर पुर ब्रांच कैनाल पर 5x 4.00x4.00 मी० स्पान के लघु सेतु का निर्माण।	10/2025 /15/001 -23-9099(09 9)-13-2024- दिनांक- 03-01-2025	112.60 112.60	6.38	106.22	78.82	27.40	17.33	4.67	22.00
9	21018/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/GON/2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा.ख. श्राव स्ती	दुर्गापुर के पी० मार्ग पर खाकीदास कुट्टी के पास हथिया कुण्डा नाले पर 3 x18.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० लघु सेतु का निर्माण।	10/2025 /15/001 -23-9099(09 9)-13-2024- दिनांक- 03-01-2025	489.52 489.52	52.19	437.33	342.67	94.66	57.35	15.44	72.79
10	21018/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/GON/2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा.ख. श्राव स्ती	डोमाई पक्की सड़क से जोखवा बाजार जाने वाले मार्ग पर 3 x18.00 मी० स्पान का आर०सी०सी० लघु सेतु निर्माण कार्य।	10/2025 /15/001 -23-9099(09 9)-13-2024- दिनांक- 03-01-2025	611.05 611.05	9.43	601.62	427.74	173.88	113.30	30.50	143.80
			योग							544.36	146.54	690.90

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

- (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुनः कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,44,36,000 (रुपये पाँच करोड़ चौवलिस लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,46,54,000 (रुपये एक करोड़ छियालिस लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0** के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/2026/आई/1321958/2026(1)/001-23-9002-002-13-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 8- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
- 14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
- 15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।